न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राकेश कुमार शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 54 / 2017

अपीलांट्स–	*बनाम*	रेस्पोडेंट्स –
जोगाराम पुत्र शेराराम (माता रामू) जाति जाट निवासी अरटा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर		1. केसाराम पुत्र चेनाराम 2. गिरधारीराम पुत्र चेनाराम 3. पन्नी पत्नी चेनाराम जाति जाट निवासी अरटा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर 4. तहसीलदार सेड़वा 5. शाखा प्रबन्धक, बीसीसीबी बैंक शाखा सेड़वा

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 94 दिनांक 19.06.2017 जो अपीलांट व उत्तरदाता सं. 1से3 की संयुक्त खातेदारी भूमि के विभाजन हेतु तहसीलदार सेड़वा द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री रिड़मलराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री खेताराम सैन, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. राजकीय पैरोकार, रेस्पोडेंट सं. 4 की ओर से उपस्थित।
4. अवशेष रेस्पोडेंट बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 18 / 09 / 2019

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार सेड़वा के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश दिनांक 19.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं।

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा अरटा के खसरा नम्बर 205, 209, 210, 239, 239 / 450, 244 रकबा कुल 144–12 बीघा के खातेदारान जोगाराम गोद पुत्र रामू पत्नी सेरा, केसा गिरधारी पि0 चेना, पनी पत्नी चेना कौम जाट सा0 देह ने प्रार्थना पत्र दिनांक 19.06.2017 तहसीलदार सेड़वा के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते 2

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी अरटी द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि पक्षकारान के उक्त इकरारनामे की रिकार्ड के आधार पर जांच की गई। वर्णित भूमि उक्त खातेदारों के नाम सह काश्तकारी मे दर्ज है तथा इस इकरारनामे मे भूमि एवं लगान का विवरण सही किया गया है, इसी माफिक सभी पक्षकार सहमत है। इस पर तहसीलदार सेड़वा द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 94 दिनांक 19.06.2017 पारित किया गया। अपीलांट्स ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 03.10. 2017 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट सं. 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित तथा रेस्पोडेंट सं. 4 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। अवशेष रेस्पोडेंट्स सं. 1, 3 व 5 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि तहसीलदार सेड़वा द्वारा पक्षकारान की खातेदारी भूमि के विभाजन अपीलाधीन पारित करने मे भारी कानूनी तथ्यों की भूल की है। अपीलांट अनपढ़ व निरक्षर होने के कारण उन्होने अपने हस्ताक्षर कर कागजात उत्तरदातागण व हल्का पटवारी को दिये उसके बाद अपीलांट को जानकारी दिये बिना हल्का पटवारी ने उत्तरदाता से मिलकर पक्षकारान के हस्ताक्षरों पर तरमीम नक्शा मुर्तिब किया गया, जिससे उक्त बंटवाड़ा प्रारम्भ से ही दूषित आदेश की श्रेणी मे आता है जो निरस्त योग्य हैं। अपीलाधीन आदेश के द्वारा पक्षकारान के मध्य बाहमी बंटवाड़ा अनुसार विभाजन नहीं किया गया है तथा नक्शा मे ट्रेस की तरमीम व मौके पर कब्जा–काश्त मे भारी भिन्नता है जिसके कारण अपीलांट के सिंचाई का बेरा उत्तरदातागण के कब्जे मे चला गया है, ऐसी स्थिति मे अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य हैं। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को जानकारी दिये बिना पारित किया गया हैं जिसकी अपीलांट ने नकलें

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

दिनांक 15.09.2017 को प्राप्त करने पर जानकारी हुई तथा जानकारी होने पर सम्यक तत्परता से अन्दर मयाद यह अपील प्रस्तुत की गई हैं, फिर भी सद्भाविक रूप से अज्ञानतावश हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु अलग से धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश हैं। अतः अपीलांट की यह अपील अन्दर मयाद शुमार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें तथा पैतृक आराजी का नये सिरे से पक्षकारान का मौके पर कब्जा–काश्त व बाहमी बंटवाड़ा अनुसार विभाजन किये जाने का आदेश फरमावें।

5. रेस्पोडेंट सं. 2 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा लिखित प्रक्कथन पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट व उत्तरदातागण द्वारा उक्त भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करवाया गया परन्तु सहमति बंटवाड़ा में हम पक्षकारान के मौके पर बाहमी बंटवाड़ा व कब्जा–काश्त अनुसार सहमति बंटवाड़ा नहीं हुआ हैं इस कारण इस बंटवाड़े से हम पक्षकारान के मौके पर किये गये बंटवाड़े व कब्जा–काश्त पूर्ण रूप से प्रभावित हो रहा हैं। उक्त विभाजन से नक्शा ट्रेस की तरमीम व मौके पर कब्जा–काश्त मे भारी भिन्नता है, जिसके कारण अपीलांट के सिंचाई का बेरा उत्तरदातागण के कब्जे मे आ गया हैं। इस आधार पर उक्त बंटवाड़ा को निरस्त कर पुनः नये सिरे से मौके पर कब्जा–काश्त अनुसार बंटवाड़ा करने की पूर्ण सहमति हैं।

6. हमने दोनो अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अपीलांट व रेस्पोडेंट सं. 1से3 की संयुक्त खातेदारी के खते मौजा अरटा के विभाजन हेतु तहसीलदार सेड़वा के समक्ष सहमति विभाजन पत्र दिनांक 19.06.17 को प्रस्तुत किया गया, जिसे हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर तस्दीक कर रेकर्ड एवं नक्शा मे अमलदरामद हेतु अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.06.2017 जारी किया गया। अपीलांट के अधिवक्ता का कथन हैं कि उक्त विभाजन के फलस्वरूप मौके पर बाहमी बंटवाड़ा व कब्जा–काश्त मे भिन्नता आ रही है, जिससे अपीलांट का सिंचाई का बेरा रेस्पोडेंट के हिस्से मे आ रहा है व अपीलांट को सड़क पर भूमि अनुपातिक रूप से नहीं दी गई हैं। इस आधार पर इस विभाजन को निरस्त कर पुनः नये सिरे से मौका कब्जा–काश्त एवं बाहमी बंटवाड़ा अनुसार बंटवाड़ा कराने हेतु दोनो पक्षकारान सहमत हैं। ऐसे मे उभय पक्षकारान की सहमति के आधार पर तहसीलदार सेड़वा द्वारा स्वीकृत विभाजन प्रस्ताव को अपास्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

न्यायालय अपर कलक्टर सत्यमेव जयते (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार सेड़वा द्वारा विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 94 दिनांक 19.06.2017 अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार सेड़वा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

8. आदेश आज दिनांक 18.09.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राज.) सत्यमेव जयते

(राकेश कुमार शर्मा)
अपर जिला कलक्टर,
बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)